प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 22 नवम्बर, 2018

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित 07 एयरपोर्ट्स के एयरोड्रोम लाइसेन्स की फीस का भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-354/ना0उ0नि0/2018 दिनांक 03 अक्टूबर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आप द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित 07 एयरपोर्ट्स के एयरोड्रोम लाइसेन्स की फीस के अग्रिम भुगतान हेतु रू0 41,00,000/- (रूपया इकतालीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अर्न्तगत वायुसेवाओं के संचालन हेतु चयनित प्रदेश में अलीगढ, आजमगढ, मुरादाबाद, चित्रकूट, झॉसी, सोनभद्र (म्योरपुर) तथा श्रावस्ती स्थित राज्य सरकार की 07 हवाई पट्टियों पर वायु सेवा प्रारम्भ करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डी0जी0सी0ए0), भारत सरकार से एयरोड्रोम लाइसेन्स प्राप्त करना आवश्यक है। चूंकि उपर्युक्त एयरपोर्ट्स राज्य सरकार के अधीन हैं तथा Airport Owner होने के कारण एयरोड्रोम लाइसेन्स के लिए राज्य सरकार द्वारा डी0जी0सी0ए0 में निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन किया जाना है और आवेदन पत्र के साथ ही फीस के अग्रिम भुगतान हेतु 41,00,000/-(रूपया इकतालीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जानी है। अत: श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अर्न्तगत चयनित 07 एयरपोर्ट्स यथा अलीगढ, आजमगढ, मुरादाबाद, चित्रकूट, झॉसी, सोनभद्र (म्योरपुर) तथा श्रावस्ती एयरोड्रोम लाइसेन्स की फीस के अग्रिम भुगतान हेतु रू0 41,00,000/-(रूपया इकतालीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 41,00,000/-(रूपया इकतालीस लाख मात्र) का अग्रिम भुगतान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं।

(1) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1- (1)/69, दिनांक 25 अक्टूबर,1983, संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10 जून, 2011 एवं संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1)/69, दिनांक 18 सितंबर, 2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश द्वारा अग्रिम आहरण सुनिश्चित किया जाएगा।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) वित्तीय नियम संग्रह खंड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार निदेशक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश द्वारा धन आहरित किया जाएगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होंगे तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी निदेशक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश जिम्मेदार होंगे।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा- लेखाशीर्षक "3053- नागर विमानन-01 हवाई सेवाएँ-800-अन्य व्यय-03 उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7-1033/दस-2018, दिनांक 20 नवम्बर,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0सं0: 115/2018/1933(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।,आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर,लखनऊ-10
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
5- महाप्रबन्धक (एफ0 एण्ड ए0)- आर0सी0एस0,रीजनल एयर कनेक्टिविटी फण्ड ट्रस्ट, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003,
6- समीक्षा अधिकारी (बजट)
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in